

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

अरुण कुमार सिंह, भा.प्र.से.
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

प्रशासनिक
स्वीकृति

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक— 07/06/18

विषय: केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) अंतर्गत पंचम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20) में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पार्क निर्माण योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल 1,36,50,000/- (एक करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार रुपये) के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) पंचम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20) में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर पार्क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(Amount in Rs.)

FUNDING PATTERN

SN	City	Area (In Acre)	Total Project Cost	Gol Share as per SAAP	State Share (AMRUT)	ULB Share from 14 th FC	Fund from Civic Amenities (State Fund)
1	2	3	4	5	6	7	8 [4 - (5+6+7)]
1	Adityapur MC	1.5	1,36,50,000/-	33,50,000/-	22,78,000/-	10,72,000/-	69,50,000/-

1. उक्त पार्क निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु उपर्युक्त विवरणी के अनुसार केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के अंतर्गत एवं राज्य योजना से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है।

2. परियोजना हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा State Annual Action Plan-3 (वित्तीय वर्ष 2017-20) में पार्क परियोजनाओं हेतु स्वीकृत राशि (कुल 2.0 करोड़) से 67,00,000/- रु. का 50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश तथा शेष निकाय अंश के रूप में देय होगा। अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत किए गए SAAP के अनुसार निकाय अंश का 80%, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से वहन किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के राज्यांश अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा।

3. उक्त के आलोक में उपर्युक्त उल्लेखित पार्क निर्माण योजना के लिए स्वीकृत प्राक्कलित राशि में से राज्यांश (निकाय अंश सहित) "शहरी पुनरुत्थान मिशन (राज्यांश)" मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से आदित्यपुर नगर निगम को कुल 22,78,000/- (बाईस लाख अठहतर हजार रुपये) मात्र एवं केन्द्रांश 33,50,000/- (तीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र नियमानुसार अमृत दिशा-निर्देशिका के आलोक में निर्गत की जाएगी। स्वीकृत योजना के अंतर्गत उपर्युक्त वर्णित तालिका में उल्लेखित 14वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कर्णांकित राशि 10,72,000/- (दस लाख बहतर हजार) रु. मात्र निकाय को विभाग द्वारा 14वाँ वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि से व्यय की जायगी।

4. SAAP (State Annual Action Plan)-3 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार द्वारा आदित्यपुर नगर निगम में पार्क निर्माण हेतु 67,00,000/- रु. अनुमोदित है। अतः कुल अतिरिक्त राशि 69,50,000/- रु. का वहन राज्य योजना अंतर्गत "शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान" मद से किया जायेगा।

5. राज्य योजना मद की राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 के अधीन मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास- लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-34-शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड-48S221780796340679 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

6. मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग के द्वारा परियोजना के प्राक्कलन को निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गई है :-

SL. NO.	PARTICULARS	AMOUNT IN Rs.
1	Main Entrance Gate With Ticket Counter, Security Room	5,34,506.22
2	Toilet Block & Drinking Water	7,14,667.99
3	Maintenance Room	3,14,275.59
4	Cafeteria	7,65,870.08
5	Boundary Wall of Length 225.15m	14,90,902.21
6	Lily Pond	5,87,925.87
7	Carriage of Material	2,42,815.53
8	Landscaping & Beautification Work	23,83,834.36
9	Horticulture Work	9,31,974.48
10	Electrification Work	14,62,563.11
11	Plumbing & Sanitary Work	7,90,633.69
12	Septic Tank	1,48,538.38
13	Recharge Pit (Harvesting Pit)	1,55,517.86
14	MR Items (Children Play Equipment, Open Gym, Fountain, Signage, Benches, Dustbin)	22,68,772.10
15	PA System	2,56,692.00
16	CCTV	2,56,603.00
17	SUB TOTAL COST	1,33,06,092.47
18	Labour Cess @ 1%	1,33,060.92
19	Contingency @ 1%	1,33,060.92
20	Consultancy Fee @ 0.47%	62,538.63
21	18% GST of Consultancy Fee	11,256.95
22	JUIDCO Charges @ 7% of Consultancy Fee (योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार)	4,377.70
23	GRAND TOTAL	1,36,50,387.61
	Say Rs.	1,36,50,000.00

AS
08/06/18

7. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है। योजना-सह-वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन हेतु आदित्यपुर नगर निगम को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा। राज्य योजना अन्तर्गत अतिरिक्त राशि 69,50,000/- (उनसठ लाख पचास हजार) रु. मात्र "शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुरक्षा सुविधा" मद से आदित्यपुर नगर निगम को सीधे हस्तांतरित किया जायेगा।

8. आदित्यपुर नगर निगम में पार्क निर्माण मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के अनुसार कराया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी, आदित्यपुर नगर निगम तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/जुडको लि०, राँची से संपर्क कर स्वीकृत प्राक्कलन की प्रति एवं आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त करेंगे।

9. इस क्रम में यथा चयनित कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा गुणवत्तायुक्त कार्यों को ससमय सम्पादित कराने हेतु जुडको लि० एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के अमृत कोषांग के द्वारा आदित्यपुर नगर निगम के साथ पारस्परिक समन्वयन बनाते हुए समस्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

AS

AS

10. सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप पार्क का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें निकाय में उपलब्ध एवं चिन्हित भूमि की अवस्थिति के अनुसार झारखण्ड लोक निर्माण संहिता के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में आवश्यक नियमानुसार प्रावधान किए जा सकेंगे, जिसकी सूचना विभाग को दी जाएगी।


11. योजना कार्यान्वयन से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूखंड आदित्यपुर नगर निगम के पास उपलब्ध है, जिसकी विवरणी निम्नांकित है:

निकाय	भूमि का क्षेत्रफल	विवरणी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
Adityapur Municipal Corporation	1.5 Acres	Ward No. 27, In front of MIG-62	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड से प्राप्त है।

13. इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश, प्रासंगिक विभागीय संकल्प विभागीय अधिसूचना, मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) एवं राज्य मिशन निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग दर्शन के आलोक में किया जाएगा।

विश्वासभाजन



(अरुण कुमार सिंह) 6.6.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- SUDA/AMRUT/Park 5 (A.Pur)-45/2018..... 45

राँची, दिनांक- 07/06/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/उपायुक्त, सराईकेला-खरसावाँ/कार्यपालक पदाधिकारी, आदित्यपुर नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, सराईकेला कोषागार/परियोजना निदेशक (प्रशासन/तकनीकी), जुडको लिमिटेड/नगरीय वित्त विशेषज्ञ, अमृत कोषांग/श्री कुणाल, विभागीय वेब मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर मुख्य सचिव।

